

188
25

वकील सायलज द्वारा कोर्ट सायलज की तलवी के समय जाहा (आपने अवसर दिया) जाल ही पणवली वास्ते तलवी डिमांड 268-25 को पेश हो

उपखण्डाधिकारी पदेन
सहायक कलेक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज०)

268
25

कोर्ट उपस्थित नहीं। सायलज द्वारा कोर्ट सायलज की तलवी का हजेरा नहीं लिखा है। उन्हें कइ अवसर दिये जा चुके हैं। अतः मूलपाद की रोशनी में जायज 212A में भी 08 RS CPC के प्रावधानों को अन्तर्गत खारिज किया जाता है। पणवली के सलजुमा होकर सिलान मूलपाद रहे

उपखण्डाधिकारी
सहायक कलेक्टर
धौलपुर (राज०)